



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रैरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2018-00116

— समक्ष —

श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष
श्री राजीव कुमार टम्टा, सदस्य

श्री अजय तिपते, पिता—स्व. श्री विजय तिपते,
पता—ए-601, मारूति हाईट,
महोबा बाजार, रायपुर (छ.ग.)

.....

आवेदक

विरुद्ध

1) मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.,
पता—तृतीय तल, पार्थिवी फेसिफिक,
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड
टाटीबंध, रायपुर

2) श्री शैलेश वर्मा, पिता—श्री एम.एल. वर्मा,
डायरेक्टर—मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
पता—तृतीय तल, पार्थिवी फेसिफिक,
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड
टाटीबंध, रायपुर

3) श्री संजय बघेल, पिता—स्व. श्री एन.एल. बघेल,
डायरेक्टर—मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
पता—तृतीय तल, पार्थिवी फेसिफिक,
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड
टाटीबंध, रायपुर

4) श्री सुशील सचदेवा, पिता—स्व. श्री जियंदमल सचदेवा,
पता—फाफाडीह, रमन मंदिर वार्ड,
रायपुर (छ.ग.)

5) श्रीमती कंचन सचदेवा, पति—श्री सुशील सचदेवा,
पता— फाफाडीह, रमन मंदिर वार्ड,
रायपुर (छ.ग.)

6) श्री महेन्द्र सचदेवा, पिता—स्व. श्री त्रिलोक चंद सचदेवा,
पता—फाफाडीह, रमन मंदिर वार्ड,
रायपुर (छ.ग.)

7) श्रीमती कमला देवी सचदेवा, पति—स्व. श्री त्रिलोक चंद सचदेवा,
पता—फाफाडीह, रमन मंदिर वार्ड,
रायपुर (छ.ग.)

.....

अनावेदकगण

Gurur



(प्रोजेक्ट- पार्थिव प्रोविन्स, सरोना, रायपुर)

आदेश

(दिनांक 19/12/2018)

आवेदक श्री अजय तिपते, पिता-स्व. श्री विजय तिपते, पता-ए-601, मारुति हाईट, मोहबा बाजार, रायपुर (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप-ड (FORM-M) में अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा पार्थिवी प्रोविन्स, सरोना, रायपुर में मकान क्रय करने हेतु अनावेदकगण को रुपये 51,000/- का भुगतान कर मकान की बुकिंग की गई थी। इस हेतु उसके व अनावेदक क्रमांक-1 के मध्य उक्त प्रोजेक्ट के मकान क्रमांक-PP-10 (D-10) के क्रय के संबंध में दिनांक 14.03.2011 को "विक्रय हेतु अनुबंध" निष्पादित किया गया था। इनकी शर्तों के अनुसार अनावेदक क्रमांक-1 को अनुबंध तिथि से 24 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 13.03.2013 तक प्रश्नाधीन मकान को पूर्ण करते हुए इसका विधिवत् आधिपत्य आवेदक को सौंपना था। किन्तु अनावेदकगण द्वारा आज दिनांक तक आवेदक को इसका आधिपत्य नहीं सौंपा गया है। आवेदक के अनुसार प्रश्नाधीन मकान अब तक अपूर्ण है तथा इस संबंध में अनावेदकगण से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है। आवेदक के अनुसार अनावेदकगण ने कॉलोनाईजर लाईसेंस एवं विकास अनुज्ञा का भी नवीनीकरण नहीं कराया है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि प्रश्नाधीन मकान की पूर्णता व आधिपत्य के संबंध में उसके द्वारा दिनांक 06.02.2016 को ई-मेल प्रेषित कर अनावेदकगण से जवाब चाहा गया था, जिसमें अनावेदकगण ने नवरात्रि तक (अधिकतम अक्टूबर, 2016 तक) इसे पूर्ण करने का कथन किया था। किन्तु अनावेदकगण द्वारा इस आश्वासन को भी पूर्ण नहीं किया गया। आवेदक ने कथन किया है कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 01.03.2017 को प्रश्नाधीन मकान के आधिपत्य के संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए रुपये 5,50,196/- अतिरिक्त जमा करते हुए इसका आधिपत्य लेने के संबंध में सूचित किया गया था। आवेदक के अनुसार उक्त सूचना प्राप्ति पर उसके द्वारा प्रश्नाधीन मकान का निरीक्षण करने पर इसे गुणवत्ता के अनुरूप न होना व अपूर्ण होना पाया गया। अनावेदकगण को दिनांक 03.03.2017 को इस संबंध में ई-मेल एवं पत्र से पुनः उसके द्वारा सूचित किया गया। जिस पर अनावेदकगण ने अपने ई-मेल दिनांक 15.03.2017 के माध्यम से प्रश्नाधीन मकान के संबंध में कमियों को स्वीकार करते हुए इसे दूर करने के लिए एक टीम नियुक्त करने की सूचना आवेदक को थी। आवेदक के अनुसार अनेक आश्वासन के बावजूद अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन मकान पूर्ण नहीं किया गया है। आवेदक ने अनावेदकगण से रुपये 15,54,409/- की क्षतिपूर्ति सहित प्रश्नाधीन मकान का विधिवत् आधिपत्य दिलाने का अनुरोध प्राधिकरण के समक्ष किया है।

Gwen

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत पंजीकृत डाक से नोटिस व दस्तावेज प्रेषित कर सूचित किया गया।
3. अनावेदकगण द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत परिवाद प्रचलन योग्य न होने के कारण इसे निरस्त किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदकगण का कथन है कि उभय पक्षों के मध्य निष्पादित अनुबंध की कंडिका-33 के अनुसार वाद की स्थिति में मध्यस्थ के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाना है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद रera में प्रचलनशील नहीं है। अनावेदकगण ने प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए आवेदक की शिकायत का खंडन किया है। अनावेदकगण का कथन है कि आवेदक को प्रश्नाधीन मकान हेतु रूपये 30,40,720/- का समय-समय पर भवन की प्रगति के अनुसार भुगतान करना था, परन्तु आवेदक निर्धारित समय के भीतर रकम अदा करने में असफल रहा। अनावेदकगण का कथन है कि आवेदक द्वारा मकान पूर्ण न होने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है, जबकि मकान पूर्ण व आधिपत्य योग्य था और आवेदक को इसकी सूचना भी उसके द्वारा दी गई थी। अनावेदकगण के अनुसार आवेदक पर ब्याज सहित कुल रूपये 10,86,688/- बकाया है। जिसके भुगतान के पश्चात् ही आवेदक को प्रश्नाधीन मकान का आधिपत्य दिया जा सकता है। अनावेदकगण का कथन है कि निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में आवेदक का आक्षेप बेबुनियाद है। आवेदक द्वारा निर्धारित समय पर रकम का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए उसके द्वारा अनावेदकगण को विलंब हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अनावेदकगण के अनुसार आवेदक ने बकाया रकम न दिये जाने के उद्देश्य से ही परिवाद प्रस्तुत किया है। अनावेदकगण ने प्रस्तुत परिवाद खारिज करते हुए आवेदक से बकाया राशि ब्याज सहित दिलाये जाने का अनुरोध किया है।
4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किए गए। आवेदक के आवेदन, अनावेदकगण के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और लिखित तर्कों का परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-
 1. क्या छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रावधान व व्यवस्थाएँ नहीं हैं ? और क्या इसे प्राप्त किए बिना क्रेता को मकान का कब्जा लेने हेतु ऑफर किया जा सकता है ?
 2. क्या प्रश्नाधीन मकान की गुणवत्ता के संबंध में आवेदक के आक्षेप स्वीकार योग्य हैं ?
 3. क्या आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन मकान हेतु नियत राशि के भुगतान में चूक की गई है ? क्या अनावेदकगण इस हेतु ब्याज के हकदार हैं ? यदि हाँ, तो ब्याज की राशि क्या होगी ?

Gwen

4. क्या प्रश्नाधीन मकान अनुबंध में वर्णित समयावधि में पूर्ण हो गया था ? यदि नहीं, तो क्या आवेदक समुचित ब्याज का हकदार है ? यदि हाँ, तो ब्याज की राशि क्या होगी ?
5. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 के संबंध में प्रस्तुत अनावेदकगण का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी समुचित प्रावधान और व्यवस्थाएँ हैं। छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 11 (आठ) में कॉलोनी के विकास कार्य की पूर्णता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। इसी तरह नगरपालिका निगम अधिनियम, 2016 की धारा 301 में भी इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 (क) (15) में भी प्रमोटर/विकासकर्ता के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों में सक्षम प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन का उपयोग प्रारंभ न करने या किसी व्यक्ति को भवन के अधिभोग हेतु आधिपत्य प्रदान नहीं करने संबंधी प्रावधान हैं।

निष्कर्षतः छत्तीसगढ़ में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी समुचित प्रावधान और व्यवस्थाएँ हैं और इसे प्राप्त करने का दायित्व भी प्रमोटर का है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (4) (बी) में भी यह प्रमोटर के कर्तव्यों में सम्मिलित है।

6. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 301 (4) में किए गए प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन को उस समय तक न तो अधिवासित करेगा और न ही अधिवासित करने की अनुज्ञा देगा, जब तक की सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु नियत रीति में अनुज्ञा प्रदान न कर दी गई हो। इसी तरह के प्रावधान भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 (क) (15) में भी वर्णित हैं। अर्थात् कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र या/और अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना प्रमोटर क्रेता को भूखण्ड/अपार्टमेंट का कब्जा ऑफर नहीं कर सकता है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में मकान क्रमांक-PP-10 (D-10) हेतु निष्पादित विक्रय अनुबंध की कण्डिका 16 में भी यह वर्णित है कि "The company on obtaining certificate for occupation and use from the competent authorities shall offer the said House to the Second party for his occupation."

अनुबंध की उक्त शर्त के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि पूर्णता प्रमाण-पत्र या अधिभोग प्रमाण-पत्र के बिना प्रमोटर प्रश्नाधीन भवन का कब्जा आवेदक को ऑफर नहीं कर सकता है। प्रश्नाधीन भवन का भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रमोटर द्वारा दिनांक 18.04.2018 को प्राप्त किया गया है। इसके पश्चात् ही प्रश्नाधीन मकान पूर्ण माना जा सकता है और इसके पश्चात् ही प्रमोटर विधिक रूप से कब्जे हेतु आवेदक को ऑफर कर सकता है। अतः उक्त तिथि के पूर्व कब्जे हेतु किये गये ऑफर की कोई वैधानिक स्वीकार्यता नहीं है।

7. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02 के संबंध में आवेदक का कथन है कि अनावेदकगण द्वारा निर्मित भवन एवं इसमें प्रयुक्त सामाग्रियों की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है, जबकि अनावेदकगण ने आवेदक के इस कथन का खंडन किया। इस संबंध में समुचित निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र आर्किटेक्ट के माध्यम से स्थल निरीक्षण पश्चात् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त आर्किटेक्ट ने प्रश्नाधीन मकान का निरीक्षण कर दिनांक 06.09.2018 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट फोटोग्राफ्स के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में ब्रोशर के अनुसार पाईप कुकिंग, गैस कनेक्शन, कवर्ड ड्रेनेज, अन्डर ग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग सहित कुछ सुविधाओं के अब तक पूर्ण न होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तथापि उन्होंने प्रश्नाधीन मकान में प्रयुक्त सामाग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में संतोष व्यक्त करते हुए कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की है। अतः प्रश्नाधीन मकान की गुणवत्ता के संबंध में आवेदक का आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं है।

8. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03 के संबंध में अनुबंध में संलग्न भुगतान अनुसूची महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार है।

At the time of booking :	15% of BSP	(BSP=Basic Sale Price)
On completion of plinth level :	20% of BSP	
On completion of ground Floor Slab :	20% of BSP	
On completion of First Floor Slab :	20% of BSP	
During Finishing :	20% of BSP	
At the time of possession :	5% of BSP	

प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अन्य चार्जेस सहित मकान की कुल कीमत रूपये 30,40,720/- है, जो उभय पक्षों द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है। उभय पक्षों द्वारा निष्पादित विक्रय अनुबंध के अनुसार इसमें :-

(अ) मकान का मूल्य (बेसिक सेल प्राईस)-	28,42,000 /-
(ब) एल.पी.जी. मीटर कनेक्शन चार्ज	- 15,000 /-
(स) क्लब मेम्बरशिप चार्ज	- 1,00,000 /-
(द) इलेक्ट्रिकल मीटर चार्ज	- 35,000 /-
(द) मेंटेनेंस चार्ज (5 वर्ष हेतु)	- 48,720 /-
कुल	- 30,40,720 /-

उभय पक्षों के मध्य निष्पादित उक्त विक्रय अनुबंध में संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार बेसिक सेल प्राईस की 5% राशि आधिपत्य सौंपने के समय क्रेता द्वारा भुगतान की जानी थी, अर्थात् कब्जा सौंपने के पूर्व आवेदक द्वारा अनावेदकगण को बेसिक सेल प्राईस का 95% का भुगतान अर्थात् रूपये 26,99,900/- मात्र करना था। अनावेदकगण द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत भुगतान संबंधी विवरण में दिनांक 24.09.2014 तक आवेदक से रूपये 26,12,533/- प्राप्त करना स्वीकार किया है, जो मकान के कुल बेसिक सेल प्राईस के लगभग 92% के बराबर है। मकान के बेसिक मूल्य की शेष 5% राशि और अन्य व्ययों की राशि का भुगतान आवेदक को मकान के विधिक

आधिपत्य के समय करना था। निष्कर्षतः आवेदक द्वारा, अनावेदक क्रमांक-1 को कब्जा प्राप्त करने के पूर्व भुगतान की जाने वाली कुल राशि में से लगभग रूपये 87,367/- मात्र का कम भुगतान किया गया है। तथापि अनावेदक क्रमांक-1 भी उक्त राशि रूपये 87,367/- पर विलंबित अवधि के ब्याज के हकदार है।

9. विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04 के संबंध में यह स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्षों के मध्य प्रश्नाधीन मकान के संबंध में दिनांक 14.03.2011 को विक्रय अनुबंध निष्पादित हुआ था। उक्त अनुबंध की कंडिका-16 के अनुसार प्रश्नाधीन मकान अनुबंध तिथि से 24 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 13.03.2013 तक पूर्ण किया जाना था, जो कि उक्त समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हुआ था। यदि अनुबंध की शर्तों में उल्लेखित आपात परिस्थितियों में दिये जाने वाले 18 माह की अतिरिक्त समयावधि को भी (यद्यपि इस दौरान ऐसी कोई परिस्थितियाँ निर्मित नहीं हुई थी) स्वीकार कर लिया जाए, तो भी प्रश्नाधीन मकान/प्रोजेक्ट विलंबित समय पश्चात् भी अर्थात् दिनांक 13.09.2014 तक पूर्ण नहीं हुआ था। प्रश्नाधीन मकान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 18.04.2018 एवं अनावेदकगण का ई-मेल दिनांक 15.03.2017 इसकी पर्याप्त पुष्टि करता है। प्रश्नाधीन मकान समय पर पूर्ण था, यह साबित करने का भार अनावेदकगण का ही था। किन्तु अनावेदकगण द्वारा प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह अवधारणा की जा सके, कि प्रश्नाधीन मकान अनुबंध में वर्णित समयावधि के भीतर पूर्ण हो चुका था। इसलिए प्रश्नाधीन मकान के कार्य पूर्णता की तिथि के संबंध में अवधारणा हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र ही विश्वसनीय आधार माना जा सकता है और इस आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन मकान अनुबंध में वर्णित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हुआ था। निष्कर्षतः यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा, आवेदक को प्रश्नाधीन मकान का विधिवत् आधिपत्य सौंपे जाने में अब तक लगभग 4 वर्ष 3 माह का विलंब किया जा चुका है। अतः आवेदक अधिनियम की धारा 18 के तहत विलंबित अवधि हेतु अनावेदक क्रमांक-1 से ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

10. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार "प्रमोटर द्वारा आबंटिती को देय ब्याज की दर, भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस दो प्रतिशत होगी।" इसके अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में 4 वर्ष 3 माह की विलंबित अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 10.12.2018 से प्रभावशील दरों के अनुसार देय ब्याज की दर $8.75\% + 2\% = 10.75\%$ होगी। अर्थात् अधिनियम की धारा 18 व सहपठित नियम 17 के अनुसार आवेदक उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 26,12,533/- मात्र (अक्षरी राशि-रूपये छब्बीस लाख बारह हजार पांच सौ तैतीस मात्र) पर उक्त दर से 4 वर्ष 3 माह के लिए ब्याज राशि कुल 11,93,604/- (अक्षरी राशि-रूपये ग्यारह लाख तिरानवे हजार छह सौ चार मात्र) का हकदार है।

आवेदक द्वारा भी प्रश्नाधीन मकान हेतु अनुबंध में वर्णित भुगतान अनुसूची के अनुसार, अनावेदक क्रमांक-1 को निर्धारित समय में लगभग रूपये 87,367/- मात्र का कम भुगतान किया गया है। अतः अनावेदक क्रमांक-1 भी, आवेदक से भुगतान हेतु शेष राशि रूपये 87,367/- मात्र पर उपरोक्त समान ब्याज दर से समान विलंबित अवधि हेतु रूपये 39,933/- के ब्याज प्राप्ति के हकदार हैं।

11. आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा परस्पर भुगतान की जाने वाली उपरोक्त ब्याज राशि का समायोजन करने पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा भुगतान योग्य ब्याज की राशि	11,93,604
2. आवेदक द्वारा भुगतान योग्य ब्याज की राशि	(-) 39,933
अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा भुगतान योग्य ब्याज की शुद्ध राशि	11,53,671

ब्याज राशि के उपरोक्त रीति से समायोजन उपरांत अनावेदक क्रमांक-1, आवेदक को रूपये 11,53,671/- के ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए अनावेदक क्रमांक-1 के विरुद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है:-
1. अनावेदक क्रमांक-1, प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में हुए विलंब के एवज में आवेदक को विलंबित अवधि हेतु उसके द्वारा देय संगणित ब्याज की समायोजित राशि रूपये 11,53,671/- को आवेदक द्वारा शेष देय राशि में समायोजित करते हुए शेष राशि नगद भुगतान करना सुनिश्चित करे।
 2. अनावेदक क्रमांक-1, प्रश्नाधीन मकान का विधिवत आधिपत्य आवेदक को दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से सौंपना सुनिश्चित करे।
 3. अनावेदक क्रमांक-1 प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट हेतु ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएँ शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

